राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू– तल, ब्लॉक–6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ;

फोन नं: 0141–2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स नः

क्रमांक : F-5(4)(143)RCEE/SWSHE/2018/2896 दिनांक : 28/9/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले ....

विषयः – नीति आयोग की चतुर्थ गवर्निंग काउन्सिल की दिनाक 17/06/18 को आयोजित बैठक मे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विद्यालयों में वार्षिक कचरा उत्सव (WASTE TO WEALTH) आयोजित करने के क्रम में।

सन्दर्भ :– 1. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (समन्वय) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक F.21(11)Plan/Gr-2/2018 दिनांक 13.08.2018,28.08.2018 एवं 07.08.2018 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त विद्यालयो मे उपलब्ध अनुपयोगी सामान का समुचित उपयोग करने की कार्ययोजना बनाई जाकर विद्यालयो को कचरा मुक्त, स्वच्छ व आकर्षक बनाया जाना है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय मे **WASTE TO WEALTH** कार्यक्रम अर्न्तगत निम्नाकित कार्य किए जाए :–

1. विद्यालयो मे दो प्रकार के कचरापात्र (नीले व हरे रंग के) लगवाए/बनाए जाए। नीले रंग के कचरा पात्र मे उन बेकार वस्तुओं को डाला जाए जिन्हें पुनः चक्रित (रिसाईकल) नही किया जा सकता तथा हरे रंग के कचरा पात्र मे उन वस्तुओं को डाला जाए जिन्हें पुनः चक्रित (रिसाईकल) किया जा सकता है।
2. विद्यालय मे हाथ एवं बर्तन धोने के उपरान्त बेकार पानी का उपयोग कर पौधे विकसित किये जाए एवं बाल वाटिकाओ का विकास किया जाकर विद्यालयों के परिसर को हरा–भरा बनाया जाए ।
3. विद्यालय में उपलब्ध अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण कर परिसर को स्वच्छ बनाया जाए।
4. दिनांक 1/10/18 से 5/10/18 तक विद्यालयो मे वार्षिक कचरा उत्सव का आयोजन कर **WASTE TO WEALTH** कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए।

विद्यालयो मे की गई गतिविधियो की रिपोर्ट व कुछ फोटोग्राफ दिनांक 16 अक्टूबर 2018 तक परिषद की SWSHE CELL की मेल swshecell@hotmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

www.rajteachers.com

27/9/18
(राम निवास जाट)
अति.राज्य परियोजना निदेशक –द्वितीय

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के पत्रांक F.23(01)प्रा.शि/आयोजना /2018 दिनांक 07.09.2018 के क्रम मे सूचनार्थ ।
5. रक्षित पत्रावली ।

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता